# न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या–206 / 2023–24

## –: आदेश :–

[अनु]सूची 14–फारम संख्या–560

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 30/03/2024 | अभिलेख उपस्थापित।<br><br>आवेदक (विक्रेता) 1. बिजय रजवार पिता–शशी रजवार, 2. सुबल रजवार, 3. सुरत रजवार, 4. कल्याण रजवार, तीनों पिता–श्रीपति रजवार, जाति–रजवार, ग्राम–केंदुलिया (अमलाबाद), थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो के द्वारा चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत मौजा–तिलाटांड़ के थाना नं0–216, खाता नं0–55, प्लॉट नं0–661, रकवा–47 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 25 / भू0सु0, दिनांक 01.02.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।<br><br>अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के पत्रांक 352 दिनांक 09.03.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :–<br>1. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान शशी रजवार दिगर के नाम से दर्ज है।<br>2. (क)विक्रेता ग्राम–केन्दुलिया (अमलाबाद), थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं।<br>(ख)क्रेता ग्राम–रतनपुर, थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं।<br>3. विक्रेता एवं क्रेता जाति के रजवार हैं, जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं।<br>4. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।<br>5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान के द्वारा प्राप्त है।<br>6. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी संख्या–1 / 53 में कायम है। लगान रसीद 2023–24 तक निर्गत है।<br>7. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है।<br>8. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है।<br>9. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म बाईद है।<br>10. अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी द्वारा मौजा–तिलाटांड़ के थाना नं0–216, खाता नं0–55, प्लॉट नं0–661, रकवा–47 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। | |

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| | विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 क्रमशः JHLRCO/2023/556177 दिनांक 11.09.2023, JHLRCO/2023/556099 दिनांक 11.09.2023, JHLRCO/2023/557313 दिनांक 09.09.2023, JHLRCO/2023/556012 दिनांक 11.09.2023 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 JHRC/2020/269659 दिनांक 23.12.2020 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।<br><br>अतः अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) **1. बिजय रजवार पिता—शशी रजवार, 2. सुबल रजवार, 3. सुरत रजवार, 4. कल्याण रजवार, तीनों पिता—श्रीपति रजवार, जाति—रजवार, ग्राम—केंदुलिया (अमलाबाद), थाना—चन्दनकियारी, जिला—बोकारो** के द्वारा चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत **मौजा—तिलाटांड़** के **थाना नं0—216, खाता नं0—55, प्लॉट नं0—661, रकवा—47 डी0** भूमि (क्रेता) **बेली देवी पति—राधु रजवार, जाति—रजवार, ग्राम—रतनपुर, थाना—चन्दनकियारी, जिला—बोकारो** को बिक्री करने की ......अनुमति...... दी जाती है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।<br><br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास। |

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.15 17:20:29 +05:30
Location: 192.168.1.42